



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 322 राँची, मंगलवार, 7 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
28 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 मई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-50/2023-25520(HRMS)--श्री सुदर्शन ठाकुर, झा०प्र०से०, परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, खूँटी के विरुद्ध राजस्व पर्षद, झारखण्ड के पत्रांक-865, दिनांक 25.08.2023 द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2023 तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रथम अर्द्धवार्षिक जनजातीय भाषा की परीक्षा, 2023 के राँची परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 25.07.2023 को ली गयी हिन्दी विषय की परीक्षा में कदाचार करने से संबंधी आरोप के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई ।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभाग स्तर से श्री ठाकुर के विरुद्ध आरोप पत्र गठित की गई, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) केन्द्रीय परीक्षा समिति, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 25.07.2023 को आयोजित प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2023 के परीक्षा केन्द्र अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला विद्यालय, राँची में राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए चल रही हिन्दी विषय की परीक्षा में श्री सुदर्शन ठाकुर, झांप्र०से०, परीक्ष्यमान उप समाहर्ता को पुर्जा के साथ नकल करते हुए पकड़ा गया, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०-3372, दिनांक 18.06.2003 के द्वारा संसूचित विभागीय परीक्षा नियमावली, 2003 के Instruction to Examinees की कंडिका-16 का उल्लंघन है।

(ii) श्री सुदर्शन ठाकुर, झांप्र०से०, परीक्ष्यमान उप समाहर्ता द्वारा किया गया उक्त कार्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7168, दिनांक 22.08.2023 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 30.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली, 2003 के Instruction to Examinees की कंडिका-16 में अंकित प्रावधान के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1562, दिनांक 01.03.2024 द्वारा श्री ठाकुर से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

श्री ठाकुर के पत्र, दिनांक 13.03.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि इनके विरुद्ध लगाया गया आरोप दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाया गया है। साथ ही, इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वीक्षक महोदय द्वारा जिसे नकल का पुर्जा कहा गया है, वह नकल का पुर्जा नहीं बल्कि A4 साईज का सादा कागज है, जिस पर उनके द्वारा रफ कार्य किया गया है, जो सी०सी० टी०वी० के फुटेज तथा इनकी उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा। इनके द्वारा किसी प्रकार का नकल नहीं किया गया है।

श्री ठाकुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में गठित आरोपों के बिन्दुओं पर स्पष्ट साक्ष्य अथवा तथ्य समर्पित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सुदर्शन ठाकुर, झांप्र०से०, परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुदर्शन ठाकुर, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUDARSHAN THAKUR JHK/JAS/360	श्री सुदर्शन ठाकुर, झां०प्र०से०, परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
